

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : प. 18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 27 MAR 2025

आदेश

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन, पुर्नगठन/उपविभाजन तथा ले-आउट प्लान अनुमोदन/एकल पट्टा जारी किये जाने के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

नगरीय विकास विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की की अनुपालना में भवन मानचित्र अनुमोदन, पुर्नगठन/उप विभाजन तथा ले-आउट प्लान अनुमोदन/एकल पट्टा जारी किये जाने के प्रकरणों में सरलीकरण की दृष्टि से शक्तिया स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजित किये जाने हेतु विभाग द्वारा आदेश/अधिसूचना जारी की गई है।

इन प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर भी कार्य संचालन सुगमता से किये जाने तथा आवश्यकता होने पर प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-

क्र.सं.	कार्य	तकनीकी परीक्षण हेतु सक्षमता	निस्तारण/स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षमता	अंतिम स्वीकृति/निर्णय
1	भवन मानचित्र अनुमोदन			
1.1	500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक (15 मीटर ऊंचाई तक)	नगर नियोजन सहायक/ वरिष्ठ प्रारूपकार	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.2	2500 वर्गमीटर तक (15 मीटर ऊंचाई तक)	सहायक नगर नियोजक	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.3	2500 वर्गमीटर तक (समस्त अनुमत ऊंचाई के)	उप नगर नियोजक	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.4	समस्त क्षेत्रफल एवं समस्त ऊंचाई	वरिष्ठ नगर नियोजक	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.5	विकास प्राधिकरण व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में 60 मी. (स्टील्ट सहित) ऊंचाई से अधिक, नगर विकास न्यास व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में 40 मी (स्टील्ट सहित) ऊंचाई से अधिक तथा अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में 30 मी. (स्टील्ट सहित) ऊंचाई से अधिक के प्रकरणों में अन्तिम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जानी होगी।			
2	कम्पलीशन/ऑक्योपेन्सी सर्टिफिकेट			
2.1	1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई तक के प्रकरण	वरिष्ठ प्रारूपकार/नगर नियोजक सहायक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	प्राधिकारी अधिकारी

2.2	2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर अधिकतम 30 मीटर ऊँचाई तक के प्रकरण	सहायक नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति
2.3	30 मीटर ऊँचाई तक के समस्त क्षेत्रफल के प्रकरण	उप नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति
2.4	30 मीटर से अधिक ऊँचाई के समस्त क्षेत्रफल के प्रकरण	वरिष्ठ नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति
3	ले-आउट प्लान अनुमोदन/एकल पट्टा हेतु योजना अनुमोदन/उपविभाजन व पुर्नगठन अनुमोदन			
3.1	2.0 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के प्रकरण	वरिष्ठ प्रारूपकार/नगर नियोजक सहायक/सहायक नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति
3.2	2.0-5.0 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के प्रकरण	उप नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति
3.3	5.0 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरण	वरिष्ठ नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति
3.4	विकास प्राधिकरण व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में आवासीय उपयोग हेतु 25000 वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 10000 वर्गमीटर से अधिक, नगर विकास न्यास व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में आवासीय उपयोग हेतु 10000 वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 5000 वर्गमीटर से अधिक के प्रकरणों में तथा अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवासीय उपयोग हेतु 5000 वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 2500 वर्गमीटर से अधिक के प्रकरणों में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व अन्तिम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जानी होगी।			
3.5	औद्योगिक भू-उपयोग हेतु एकल पट्टा प्रकरणों में विभागीय आदेश दिनांक 21.09.2012 के अनुसार 10000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ले-आउट प्लान समिति से अनुमोदन उपरान्त पट्टा जारी किया जा सकता है तथा 10000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु अंतिम स्वीकृति विभागीय आदेश दिनांक 02.09.2024 के अनुसार गठित समिति से प्राप्त की जानी होगी।			

सामान्य निर्देश :-

1. उपरोक्त सेवाओं हेतु आवश्यक रूप से ऑनलाईन ही आवेदन स्वीकार किये जावे।
2. उपरोक्तनुसार निर्धारित तकनीकी सक्षमता के अनुरूप नगरीय निकाय में तकनीकी अधिकारी नियुक्त नहीं होने पर उक्त सक्षमता के अनुसार संबंधित जिला नगर नियोजक अथवा संभाग स्तरीय वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय से तकनीकी राय/अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।
3. इन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में विस्तृत चैक लिस्ट परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। प्रकरणों के परीक्षण उपरान्त अंतिम स्वीकृति हेतु निकाय स्तरीय सक्षम समिति को इस चैक लिस्ट में सूचना भरकर अंतिम निर्णय हेतु सक्षम समिति के समक्ष आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावे।



4. राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों के संबंध में विस्तृत चैक लिस्ट परिशष्ट 'ब' पर संलग्न है। नगरीय निकाय द्वारा इस चैक लिस्ट में आवश्यक सूचना भरकर तथा संलग्नकों के साथ ही प्रस्ताव निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रचलित भवन विनियमों में एम्पनेल्ड आर्किटेक्ट को भवन मानचित्र अनुमोदन तथा कम्पलीशन/ऑक्योपेन्सी सर्टिफिकेट हेतु प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अनुरूप भवन मानचित्र अनुमोदन तथा कम्पलीशन/ऑक्योपेन्सी सर्टिफिकेट जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। नगरीय निकाय द्वारा उनके क्षेत्र में एम्पनेल्ड आर्किटेक्ट द्वारा जारी की गई स्वीकृतिया व जमा राशिया का विवरण ऑनलाईन प्रदर्शित किया जाना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

 (रवि विजय)
 शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मण्डल, राजस्थान
10. रक्षित पत्रावली।


 27/3/25
 शासन उप सचिव-प्रथम

कार्यालय आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 एवं आदेश क्रमांक 2014 पार्ट दिनांक 27.03.2025 के बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार लेआउट अनुमोदन हेतु नगर निकाय के प्राधिकृत अधिकारी को एवं निर्णय हेतु लेआउट प्लान समिति को अधिकृत किया है। तदनुसार नगर पालिका चाकसू के क्षेत्राधिकार में लेआउट अनुमोदन हेतु प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चाकसू होंगे।

अतः उक्त आदेश के अनुसार तकनीकी परीक्षण उपरान्त लेआउट प्लान अनुमोदन हेतु नगर पालिका स्तरीय लेआउट प्लान अनुमोदन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1. अध्यक्ष, नगर पालिका चाकसू | — | अध्यक्ष |
| 2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका चाकसू | — | सदस्य सचिव एवं प्राधिकृत अधिकारी |
| 3. सहायक अभियन्ता, नगर पालिका चाकसू | — | सदस्य |
| 4. वरिष्ठ प्रारूपकार, नगर पालिका चाकसू | — | सदस्य |



(डॉ. बन्धारी लाल मीणा)

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका चाकसू

दिनांक :- 28/3/2025

क्रमांक:-न.पा.चा./2024-25/5835-5839

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका चाकसू।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका चाकसू।
3. सहायक अभियन्ता, नगर पालिका चाकसू।
4. वरिष्ठ प्रारूपकार, नगर पालिका चाकसू।
5. सुरक्षित पत्रावली।



अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका चाकसू

कार्यालय नगर पालिका चाकसू जिला जयपुर (राज0)

क्रमांक: न.पा.चा./2025-26/ 2644

दिनांक:- 21/7/2025

लेआउट प्लान समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 27/6/25 को लेआउट प्लान समिति की बैठक अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. श्री कमलेश बैरवा, अध्यक्ष नगर पालिका चाकसू-अध्यक्ष
2. श्री सतीश कुमार मीना, सहायक अभियन्ता-सदस्य
3. श्री चौथमल मीना, वरिष्ठ प्रारूपकार-सदस्य
4. डॉ. बनवारी लाल मीना, अधिशाषी अधिकारी-सदस्य सचिव

विचारणीय बिन्दु :-1

1. लेआउट प्लान अनुमोदन THE HIGHWAY RESIDENCY, जरिये आवेदक ड्रीम हाउस बिल्डस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक भगवती प्रसाद शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा मकान संख्या-50, कालोनी-सुख विहार कालोनी, क्षेत्र/स्थान-श्यापुर रोड, शहर-सांगानेर जयपुर, पिन कोड-302029, जिला-जयपुर, राज्य-राजस्थान राजस्व ग्राम -भगवानपुरा, पटवार हल्का-रामनिवास, भू.अभि.नि. क्षेत्र-छान्देलकलां, तहसील चाकसू जिला जयपुर के खसरा नं. 486, 487, 489, 486/1, 485/13 कुल किता 5 कुल रकबा 1.1600 हैक्टेयर

कमेटी द्वारा प्रस्तुत लेआउट प्लान का अवलोकन किया गया एवं इस पर टाउनशिप पॉलिसी 2010 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श किया गया। कमेटी के समक्ष इस लेआउट प्लान के निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए हैं :-

1. यह योजना 2 हैक्टेयर से कम के क्षेत्रफल की है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11600 वर्ग मीटर है।
2. कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल 59 प्रतिशत प्रस्तावित किया है, जिसमें 52.20 प्रतिशत आवासीय, 3 प्रतिशत इनफोर्मल, 3.80 प्रतिशत व्यावसायिक प्रस्तावित किया है।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान सं. 1ए के अनुसार निजी विकासकर्ता को कुल आवासीय विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक है, प्रस्तावित योजना में इस हेतु भूखण्ड आरक्षित नहीं किये हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान संख्या 1ए1 के अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत की कीमत आवेदक से जमा करवायी जावेगी।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार सुविधा क्षेत्र 2 हैक्टेयर से कम की योजनाओं में पार्क एवं सुविधा हेतु कुल 5 प्रतिशत होना आवश्यक है, जिसकी पालना प्रस्तावित प्लान में की गयी है।
5. प्रस्तावित योजना में सड़कों हेतु 29.31 प्रतिशत क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। टाउनशिप पॉलिसी (10 हैक्टेयर तक) के बिन्दु संख्या 4.02 के अनुसार 02 हैक्टेयर की योजनाओं में खुला/पार्क/सड़क/सुविधा आदि क्षेत्र 40 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत रखा जा सकता है।
6. प्रस्तावित योजना को 60 मीटर का पहुंच मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 52 (टोंक रोड) से प्राप्त हो रहा है।
7. प्रस्तुत योजना मानचित्र में ठोस कूड़ा करकट संग्रहण केन्द्र एवं राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 संशोधन दिनांक 10.08.2020 के प्रावधानानुसार टेलीकॉम टॉवर हेतु क्षेत्रफल आरक्षित रखा गया है।
8. प्रकरण में आवेदित भूमि के बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई वाद/विवाद विचाराधीन है अथवा विपरीत निहित है, तो माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होकर मान्य होगा एवं एम्पावरड कमेटी द्वारा योजना मानचित्र अनुमोदन माननीय न्यायालय के निर्णयों के दिशा-निर्देशों के अधीन रहेंगे।
9. प्रकरण में आवेदित योजना में भूखण्डों पर राजस्थान भवन विनियम 2025 के अनुसार सेटबैक आदि पैरामीटर रखे जाकर निर्माण किये जाने से पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी होगी।

प्रस्तावित योजना के उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया गया कमेटी की राय में योजना में आवासीय, इन्फोर्मल, व्यावसायिक, सुविधा क्षेत्र (सड़क, पार्क, एसडब्ल्यूएम, मोबाईल टॉवर आदि) हेतु आरक्षित किये गये क्षेत्रफल राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 (10 हैक्टेयर तक) तथा तकनीकी मापदण्डों से संगतता रखते हैं। अतः कमेटी द्वारा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के पेटे विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत राशि डीएलसी/आरक्षित दर से जमा करवाने तथा आन्तरिक विकास के पेटे 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखते हुए लेआउट प्लान का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं मौका स्थिति के अनुसार पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका चाकसू

विचारणीय बिन्दु :-2

1. एकल साईट प्लान कृषि आधारित प्राथमिक लघु उद्योग प्रयोजनार्थ अनुमोदन SMILAX PSYLLIUM IMPEXLLP, पंजीकृत कार्यालय पता- 66, माथुर वैश्य नगर टोंक रोड जयपुर निदेशक श्रीमति मुक्त एम गोयल पत्नी श्री मुकुट बिहारी गोयल राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा, पटवार हल्का गिरधारीलालपुरा, भू.अभि.नि.-छान्देल कलां, तहसील चाकसू के खसरा सं. 123, 123/1621, 124, 21 (आंशिक) कुल रकबा 10000 वर्ग मीटर पर विचार विमर्श एवं निर्णय।

कमेटी द्वारा प्रस्तुत साईट प्लान का अवलोकन करने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए :-

1. प्रश्नगत भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका चाकसू द्वारा किया जा चुका है। अब आवेदक द्वारा वेयर हाउस हेतु साईट प्लान अनुमोदन एवं पट्टे की मांग की गयी है।
2. उक्त भूखण्ड पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से स्वामी का बास जाने वाले ग्रामीण सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार ग्रामीण सड़क का मार्गाधिकार न्यूनतम 18 मीटर रखा जाना आवश्यक है तथा 18 मीटर सड़क पर औद्योगिक उपयोग अनुज्ञेय है। उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान में पैराफेरी क्षेत्र में स्थित है। डीपीसीआर दिनांक 14.10.2024 की तालिका सं 8 के बिन्दु 4 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी में औद्योगिक उपयोग में वेयर हाउस सीधे ही अनुमत है। अतः उक्त मापदण्ड, प्रचलित टाउनशिप पॉलिसी एवं विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण विनियमों से संगतता रखते हैं। अतः कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत एकल साईट प्लान का अज्वलनशील पदार्थों हेतु वेयर हाउस प्रयोजनार्थ अनुमोदन किया गया।

(कमलेश बैरवा)
अध्यक्ष, नगर पालिका
चाकसू

(सतीश कुमार मीना)
सहायक
अभियन्ता-सदस्य

(चैथन मीना)
वरिष्ठ
प्रारूपकार-सदस्य

(डॉ. बलराम बाबू मीणा)
अधिसूचना अधिकारी-सचिव
नगर पालिका चाकसू



कार्यालय नगर पालिका मण्डल चाकसू, जिला जयपुर (राज.) एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक:-न.पा.चा./2025/3715

दिनांक :- 04/08/2025

ड्रीम हाउस बिल्डस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये
निदेशक भगवती प्रसाद शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा
मकान संख्या-50, कालोनी-सुख विहार कालोनी,
क्षेत्र/स्थान-शयोपुर रोड, शहर-सांगानेर जयपुर,
पिन कोड-302029, जिला-जयपुर, राज्य-राजस्थान

विषय :- ले-आउट प्लान जारी करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम -भगवानपुरा, पटवार हल्का-रामनिवास, भू. अभि.नि. क्षेत्र-छान्देलकलां, तहसील चाकसू जिला जयपुर के खसरा नं. 486, 487, 489, 486/1, 485/13 कुल किता 5 कुल रकबा 1.1600 हैक्टेयर की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना THE HIGHWAY RESIDENCY का लेआउट प्लान रिलिज करने हेतु आवेदन किया गया था, जिसका अनुमोदित लेआउट प्लान आपको जारी मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने के उपरान्त जारी किया जाता है।

संलग्न :- अनुमोदित ले-आउट प्लान THE HIGHWAY RESIDENCY

(डॉ. बनवारी लाल मीणा)
अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पालिका चाकसू

PROPOSED LAY OUT PLAN THE HIGHWAY RESIDENCY

KHASRA NO. 485/1,486,486/1,487,489

AT VILLAGE - BHAGWANPURA, TEHSIL- CHAKSU, DIST.- JAIPUR.

SCALE :- 1:500

रिपोर्ट पढ्वा री

ग्राम भगवानपुरा स्थित खसरा नम्बर 485/13, 486, 486/1, 487, 489 का मिलान राजस्व नम्बों से करने पर सही पाया। उक्त खसरा नम्बरान में कोई सरकारी ज़मीन न अन्य किसी व्यक्ति के स्वामित्व की ज़मीन नहीं है।

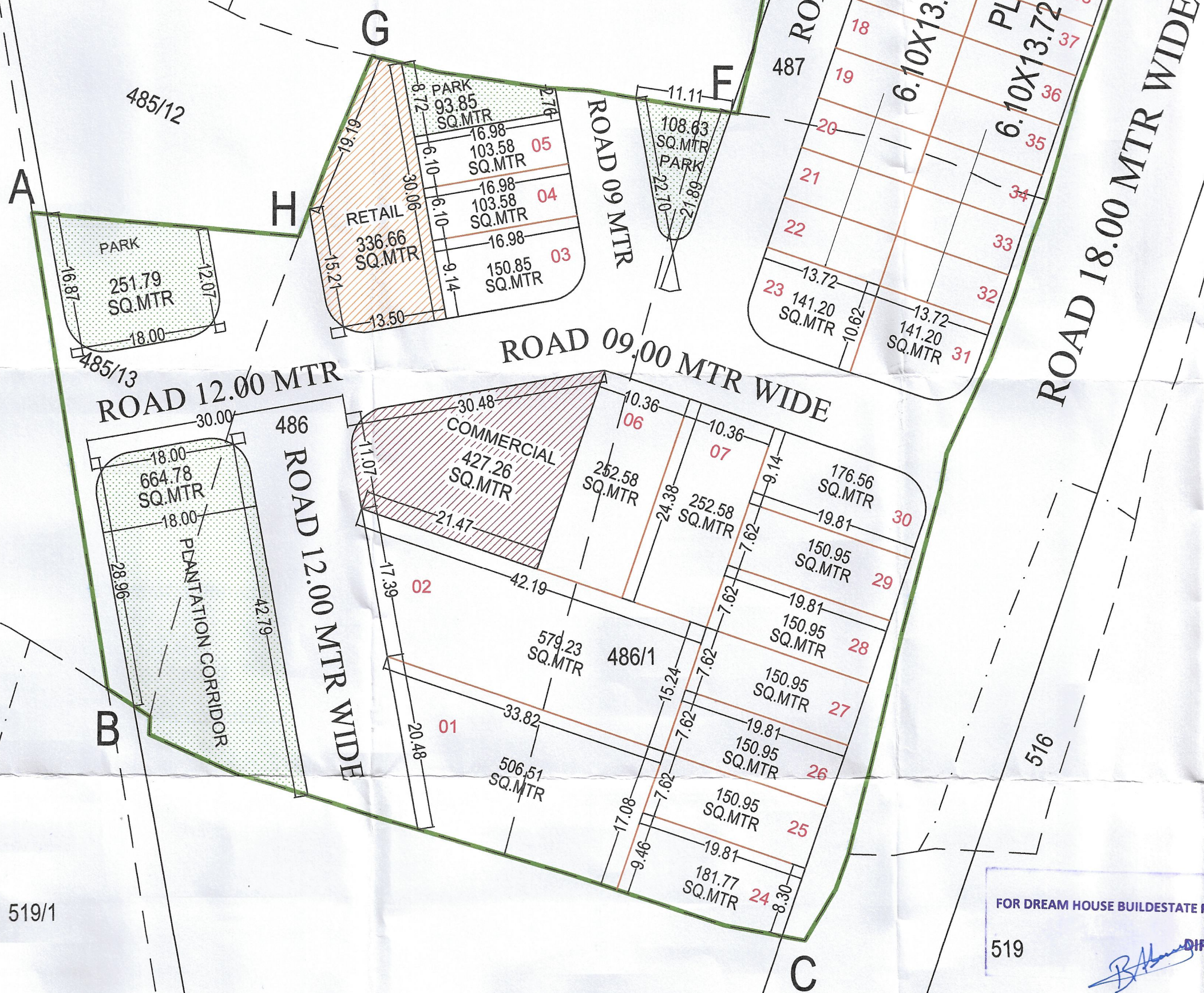
भूखंड संख्या 1 व 2
ओतारिग पिछाड के
में रहना रखे जाते
हैं।

सहायक अभियन्ता
नगर पालिका बाँकुरा

अध्यक्ष
नगर पालिका चाकसू

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका चाकसु

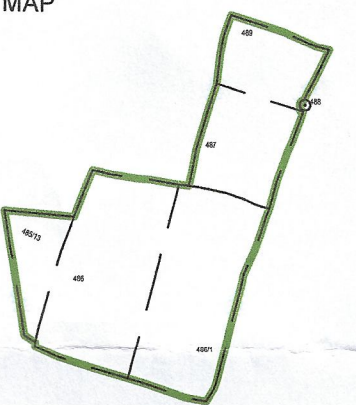
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर पालिका चाकसू



NORTH :-



KHASRA MAP



AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	5873.11	52.20 %
2.	INFORMAL	336.66	03.00 %
3.	COMMERCIAL	427.28	03.80 %
TOTAL=(1 TO 3)		6637.03	59.00 %
4.	PARK (PLANTATION)	1242.53	11.05 %
5.	SWM	61.73	00.55 %
6.	MT	10.00	00.09 %
7.	ROAD	3298.71	29.31 %
TOTAL=(4 TO 7)		4612.97	41.00 %
TOTAL SCHEME AREA		11250.00	100.00 %
AREA LOSS IN KHASRA MAP		350.00 SQ.MTR.	
TOTAL LAND AREA		11600.00 SQ.MTR	

SCHEME NAME :- PROPOSED LAY OUT PLAN
THE HIGHWAY RESIDENCY
AT VILLAGE - BHAGWANPURA, TEHSIL CHAKSU DIST JAIPUR

SCHEME OUTER (A TO H)

SCALE :- 1:1000

NAGAR PALIKA CHAKSU



CONTACT :- +91 8565000324
ADDRESS :- P2, SHIVAM HOTEL, MAHARANA PRATAP MATKET,
NEAR KUMBHA MARK BUS STAND, MAIN TONK ROAD,
PRATAP NAGAR, JAIPUR.